न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम–प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्याः–02 / 2016

रमेश कुमार गोस्वामी पुत्र श्री माईलाल गोस्वामी निवासी गांव सागडा, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1.उप जिला कलक्टर (रसद्र) भादरा जिला हनुमानगढ।
2.जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

न्यायालय खाद्य आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनाक 02.05.2016 की पालना में उप जिला कलक्टर (रसद) भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा पारित निलम्बन आदेश दिनांक 28.04.2014 के विरूद्ध अपील।

उपस्थितः–1.श्री प्रदीप मोहन भाटी वकील अपीलार्थी
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय दिनांकः–17.01.2018

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को एक प्राधिकार पत्र अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रदान किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त आदेशो के तहत सम्पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य किया परन्तु शिकायतों के आधार पर उक्त प्राधिकार पत्र को श्रीमान् उप जिला कलेक्टर (रसद) भादरा द्वारा आदेश दिनांक 28.04.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 28.4.

2014 के विरूद्ध मैने एक पुनरीक्षण याचिका सं. 7/2016 माननीय न्यायालय खाद्य आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो कि मैने दिनांक 02.05.2016 के द्वारा निर्णित हुई। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय खाद्य आयुक्त ने अपील पेश करने का आदेश दिया है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलार्थी एवं अपील आक्षेपित आदेश दिनांक 28.4.2014 के विरूद्ध निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

आदेश दिनांक 28.04.2014 विधि व सर्वमान्य सिद्धान्तो के विरूद्ध है क्योकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई कारण बताओ नाटिस जारी नही किया गया एवं ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। कोई शिकायत अपीलार्थी के विरूद्ध थी तो उसकी प्रति अपीलार्थी को प्रदान करनी चाहिये थी तथा उसके विरूद्ध आक्षेप प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। परन्तु उप जिला कलेक्टर (रसद) भादरा ने एकपक्षीय आदेश पारित कर प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया।

प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने से पूर्व प्रार्थी के उत्कृष्ट कार्य को नजरअंदाज किया गया तथा प्रार्थी को कोई कारण भी नही बताया गया कि क्यों उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी सेवाये समुचित रूप से निष्ठा एवं लगन से दी थी तथा ऐसी कोई मंशा नही थी कि प्राधिकार पत्र में अंकित शर्तो का उल्लंधन किया जावे। शिकायतकर्ताओ ने कभी भी प्रार्थी को इस बाबत नही बताया।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत निलम्बन आदेश अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है परन्तु मेरे मामले में यह निलम्बन दो वर्ष से उपर का हो गया है। उक्त निलम्बन आदेश नियम 1976 के सर्वथा प्रतिकूल है व मेरे मामले में इस प्रकरण को समुचित रूप से विचार नही किया गया तथा मुझे पिछले दो वर्षो में सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया है।

अपीलार्थी ने अपनी सेवाये कर्मठ रूप से एवं लोगो की भलाई के लिये प्रदान की है तथा समुचित रूप से रजिस्टर में अंकित किया गया है। मेरे प्रकरण में कोई जांच अब तक नही की गई है तथा ना ही कोई जांच प्रस्तावित हैं। उपजिला कलेक्टर (रसद) भादरा द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 28.04.2014 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को पुनः प्राधिकार पत्र दिया जावे। अपील गुणावुगण पर निस्तारित की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एवं अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष उभय पक्ष को सुना गया। वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नही किया गया। शिकायत की प्रति उपलब्ध नही करवाई गई। अपीलार्थी के विरूद्ध क्या आक्षेप लगाये जिनका जबाव देने के लिए कोई अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र में अंकित शर्तो का कोई

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रकरण में जांच विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के निलम्बन आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जांचकर्ता द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच में उचित मूल्य सामग्री के वितरण में गम्भीर अनियमितताऐ पाई जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया है। प्रकरण में अभी जांच विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील निलम्बन आदेश के विरूद्ध की गई जो सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलार्थी को नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। प्रकरण में जांच विचाराधीन है। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच में उचित मूल्य सामग्री के वितरण में गम्भीर अनियमितताऐ पाई जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बन किया गया है। प्रकरण में अभी जांच विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकरण अभी जांच में विचाराधीन होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़